संख्या- 94/2023/1254/छप्पन-2023-31/2016

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 13 सितम्बर, 2023

विषय: नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु प्रथम चरण में अर्जित ग्राम रोही एवं किशोरपुर की पेरीफेरी पर स्थित 12 गाटाओं की 1.5639 है0 भूमि को आपसी समझौते के आधार पर सीधे क्रय करने हेतु अवधारित कुल भूमि मूल्य पर रजिस्ट्रेशन शुल्क की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-141/ए0एफ0-2023-116/2016 दिनांक 25 अगस्त, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु प्रथम चरण में अर्जित ग्राम रोही एवं किशोरपुर की पेरीफेरी पर स्थित 12 गाटाओं की 1.5639 है0 भूमि के क्रय हेतु रजिस्ट्रेशन शुल्क की धनराशि रू0 4,84,809/- (रूपए चार लाख चौरासी हजार आठ सौ नौ मात्र) पर अनुमोदन प्रदान करते हुए NIAL में राज्य सरकार की अंशधारिता 37.5% के अनुसार धनराशि रू0 1,81,803/- (रूपए एक लाख इक्यासी हजार आठ सौ तीन मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष उक्त धनराशि रू0 1,81,803/- की व्यय की अनुमति सहित कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन हेतु अवमुक्त करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु प्रथम चरण में अर्जित ग्राम रोही एवं किशोरपुर की पेरिफेरी पर स्थित 12 गाटा संख्याओं की 1.5639 है0 भूमि को आपसी सहमति के आधार पर सीधे क्रय करने हेतु भूमि क्रय की दर रू0 3100.00 प्रति वर्गमीटर एवं मूल्यांकित धनराशि रू0 4,84,80,900.00 (रूपए चार करोड़ चौरासी लाख अस्सी हजार नौ सौ मात्र) पर अनुमोदन एवं NIAL में राज्य सरकार की अंशधारिता 37.5% के अनुसार धनराशि रू0 1,81,80,337/- (रूपए एक करोड़ इक्यासी लाख अस्सी हजार तीन सौ सैंतीस मात्र) शासनादेश संख्या-70/2023/755/छप्पन-2023-31/2016 दिनांक 23 जून, 2023 द्वारा अवमुक्त की गई थी।

अस्तु, कुल भूमि मूल्य रू0 4,84,80,900.00 पर रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में 1 प्रतिशत धनराशि रू0 4,84,809/- देय है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु प्रथम चरण में अर्जित ग्राम रोही एवं किशोरपुर की पेरीफेरी पर स्थित 12 गाटाओं की 1.5639 है0 भूमि के क्रय हेतु रजिस्ट्रेशन शुल्क की धनराशि रू0 4,84,809/- (रूपए चार लाख चौरासी हजार आठ सौ नौ मात्र) पर अनुमोदन प्रदान करते हुए NIAL में राज्य सरकार की अंशधारिता 37.5%

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

के अनुसार धनराशि रू0 1,81,803/- (रूपए एक लाख इक्यासी हजार आठ सौ तीन मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रू0 1,81,803/- (रूपए एक लाख इक्यासी हजार आठ सौ तीन मात्र) वर्तमान चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 में व्यय की अनुमति सहित कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है।

(4) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा स्वीकृति धनराशि व्यय किए जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 17 मार्च, 2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(7) उक्त स्वीकृति धनराशि के आहरण एवं व्यय से सम्बन्धित पक्षों द्वारा वित्तीय नियमों/आदेशों/प्रक्रिया का अनुपालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

(10) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु प्रथम चरण में अर्जित ग्राम रोही एवं किशोरपुर की पेरीफेरी पर स्थित 12 गाटाओं की 1.5639 है0 भूमि के क्रय हेतु रजिस्ट्रेशन शुल्क की देय धनराशि रू0 4,84,809/- (रूपए चार लाख चौरासी हजार आठ सौ नौ मात्र) में से NIAL के शेष अंशधारकों नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा भी अपनी-अपनी अंशधारिता के अनुसार धनराशि कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर को यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाएगी।

3/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- उक्तानुसार स्वीकृत की जाने वाली धनराशि रू0 1,81,803/- (रूपए एक लाख इक्यासी हजार आठ सौ तीन मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निर्वतन पर रखी जाएगी और कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर द्वारा यथा आवश्यकता समय-समय पर सम्बन्धित पक्षों को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

5- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-38 के अन्तर्गत पूँजी लेखा "लेखाशीर्ष 5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-21-जनपद गौतमबुद्धनगर के जेवर में अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना-60-भूमि क्रय" से वहन की जाएगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: ई-7-155/दस-2023-24, दिनांक 11 सितम्बर, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

संख्या- 94/2023/1254(1)/छप्पन-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10.

3- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/ग्रेटर नॉएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण/यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे सन्दर्भगत प्रकरण में अनुमोदित रजिस्ट्रेशन शुल्क की धनराशि रू0 4,84,809/- (रूपए चार लाख चौरासी हजार आठ सौ नौ मात्र) में से NIAL में अपनी-अपनी अंशधारिता के अनुसार धनराशि कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर के निवर्तन पर यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

4- कलैक्टर/जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

5- कलैक्टर/अपर जिलाधिकारी(भू0अ0), गौतमबुद्धनगर।

6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

7- विशेष कार्याधिकारी (श्री शैलेन्द्र कुमार भाटिया), नॉएडा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लि0/नोडल अधिकारी, जेवर एयरपोर्ट, गौतमबुद्धनगर।

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ राजस्व अनुभाग-13/स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2.

9- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in